संख्या-10/2015/658(1)/60-1-15-1/03(49)/02 टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्री आलोक कुमार,
डी0सी0जी0ए0,
उ0प्र0 स्टेट नोडल आफिसर,
पी0एफ0एम0एस0 प्रोजेक्ट सेल,
नई दिल्ली।

महिला कल्याण एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 13 मई, 2015**

विषय-: पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् पी0एफ0एम0एस के माध्यम से संचालित पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत द्वितीय किस्त का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य संक्षिप्त विवरण (स्टेट समरी रिपोर्ट) दिनांक 10.04.2015 के अनुसार कुल 1712577 लाभार्थियों के सापेक्ष दिनांक 31.03.2015 तक 1459393 लाभार्थियों के खाते में धनराशि का ही अन्तरण किया गया है जबकि पी0एफ0एम0एस0 पर 1687496 रिकार्ड अपलोड किये गये है जिसमें से 1516131 डाटा ही स्वीकार तथा 24066 डाटा पुनः सत्यापित (री-वेरीफाइड) दर्शित हो रहे है।

विगत 1 अप्रैल 2015 से राज्य संक्षिप्त विवरण (स्टेट समरी रिपोर्ट) में पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नही हो रही है जिससे अवशेष लाभार्थियों के पेंशन के भुगतान की कार्यवाही अवरूद्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पी0एफ0एम0एस0 पर प्रदर्शित डाटा पर कार्यवाही शुरू कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाना संभव हो सके।

भवदीया,

रेणुका कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in